बिन्दु सं0–2

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

विभाग के नीतिगत प्रकरणों में शासन स्तर पर प्रशासनिक निर्णय हेतु समाज कल्याण आयुक्त, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, सचिव, समाज कल्याण, अधिकृत हैं।

निदेशालय स्तर पर संचालित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा विभागीय अधिष्ठान से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश में निहित है।

मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, मण्डलायुक्त के मार्गदर्शन में एवं जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में नियमानुसार योजनाओं के सफल संचालन हेतु प्रयासरत हैं। इस हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को आहरण वितरण के अधिकार भी प्रदान किये गये हैं।